

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 271/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस.एम.ई.सी.सी.सी., एलआईसी डिविजनल ऑफिस बिल्डिंग कैम्पस, अम्बेडकर
सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

- (1) मैसर्स ओम सैनितरी एण्ड इलेक्ट्रीकल प्रो. श्री रमेश चन्द साहू पुत्र श्री किस्तूर चन्द साहू
(अ) पिंजरापोल गौ शाला के पास, टौक रोड, सांगानेर जयपुर एवं
(ब) प्लाट नं. 46, शिवराम कालोनी, दुर्गापुरा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act. 2002



उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।


निर्णय

दिनांक 15.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.05.2014 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स ओम सैनितरी एण्ड इलेक्ट्रीकल प्रो. रमेश चन्द साहू पुत्र श्री किस्तूर चन्द साहू का हाईपोथीकेटेड स्टॉक्स ऑफ सैनितरी एण्ड इलेक्ट्रीकल आईटम्स इत्यादि, बोथ प्रेजेन्ट एण्ड पयूचर, ऑल दा प्रजेन्ट एण्ड पयूचर लिस्ट ऑफ बुक डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसेवेबल, सिक्योरिटीज, ऐसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्सड एसेट्स, फर्नीचर फिक्चर्स एण्ड फिटिंग इत्यादि (हाईपोथीकेशन एग्रीमेन्ट दिनांक 21.05.2014 के अनुसार) को हाईपोथीकेटेड कर राशि 10,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.01.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 10,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 07,47,010/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.01.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स ओम सेनिटरी एण्ड इलेक्ट्रीकल प्रो. रमेश चन्द साहू पुत्र श्री किस्तूर चन्द साहू का हाईपोथीकेटेड स्टॉक्स ऑफ सैनितरी एण्ड इलेक्ट्रीकल आईटम्स इत्यादि, बोथ प्रेजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल दा प्रेजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, सिक्योरिटीज, ऐसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्सड एसेट्स, फर्नीचर फिक्चर्स एण्ड फिटिंग इत्यादि (हाईपोथीकेशन एग्रीमेन्ट दिनांक 21.05.2014 के अनुसार) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक 15.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


 15/12/2020
 (अन्तर सिंह नेहरा)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (फिलक्टर) जयपुर

